न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/07/2019	04–02–2019	12–12–2019

01– रामनिवास पुत्र गिर्राज जाति मीना निवासी ग्राम अडोली तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर राज0।

02– रामकरण पुत्र गिर्राज जाति मीना निवासी ग्राम अडोली तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर राज0।

–अपीलांट

बनाम

01– नायब तहसीलदार लक्ष्मणगढ़, जिला अलवर –रैस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय नायब तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ दिनांक 15.01.2019 अन्तर्गत धारा 91 भू0 राजस्व अधिनियम प्रकरण संख्या 49/2018

उपस्थितः–

01–श्री उमाशंकर खण्डेलवाल –वकील अपीलाण्ट

–:निर्णयः–

अपीलांट ने यह अपील नायब तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ के आदेश दिनांक 15.01.2019 जिसके द्वारा अपीलांट को ग्राम अडोली की सरकारी नाला भूमि के आराजी खसरा नम्बर 376 रकबा 5.00 है0 में से 0.05 है0 पर अवैध कब्जा करने पर की गई बेदखली व पैनल्टी से व्यथित होकर पेश की गई है। अपील अपीलांट्स दर्ज रजिस्टर कर रेस्पौ0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया। एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये निवेदन किया कि ग्राम अडोली की सरकारी नाला भूमि के आराजी खसरा नम्बर 376 रकबा 5.00 है0 में से 0.05 है0 पर अवैध कब्जा करने की पटवारी द्वारा रिपोर्ट दिनांक 22.11.2018 को अपीलांट को अतिक्रमी मानकर बिना सुने बेदखली व लगान से दण्डित किया। पूर्व में अपीलांट को कभी बेदखल नहीं किया गया ना किसी प्रकार की सजा व पैनल्टी से आरोपित किया गया। अतः अपीलांट को बेदखली व पैनल्टी से मुक्त किया जावे।

हमनें अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील का भी अवलोकन किया जिसमें अपीलांट द्वारा दिनांक 01.02.2019 को विवादित आराजी पर कब्जा नहीं बताया है तथा रिपोर्ट नायब तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ द्वारा भी अपनी मौका रिपोर्ट दिनांक 20.11.2019 में विवादित आराजी पर वर्तमान में अपीलांट का अतिक्रमण नहीं होना बताया है। अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अपीलांट को बेदखली के दण्ड से मुक्त किया जाता है। तथा दण्ड स्वरूप आरोपित पैनल्टी यथावत रखी जाती है।

निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकार्ड के साथ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफतर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 12–12–2019 को अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

COURT OF THE ADDITIONAL COLLECTOR (I) ALWAR (RAJ.) अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0)

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)